उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-8 /2023/458/तीस-4-2023-30-4099/22/2022
लखनऊः दिनांकः 05 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 65, 95, 96 तथा 111 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 को संशोधित करने की दृष्टि से जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करती हैं उसका निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम सन् 1988 की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन समस्त सम्बन्धित की सूचना के लिये और उसके सम्बन्ध में आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2- प्रस्तावित नियमावली के सम्बन्ध में आपत्तियाँ और सुझाव (यदि कोई हों) विशेष सचिव, परिवहन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन, कक्ष संख्या-711, सप्तम तल, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किये जानें चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

3- ऐसा व्यक्ति, जिसने लिखित रूप में आपत्तियाँ और सुझाव प्रस्तुत किया हो, विशेष सचिव, परिवहन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन के समक्ष दिनांक 08.05.2023 को मध्यान्ह 12:00 बजे बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ के सप्तम तल स्थित उनके कार्यालय कक्ष संख्या-711 में सुनवाई के लिये उपस्थित हो सकता है।

नियमावली का प्रारूप

उत्तर प्रदेश मोटरयान (उनतीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2023

<table>
<tr><td>संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ</td><td colspan="2">1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मोटरयान (उनतीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी;
2. (2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।</td></tr>
<tr><td>नियम 39 का संशोधन</td><td colspan="2">2. उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 39 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-</td></tr>
<tr><td></td><td>स्तम्भ-1
विद्यमान नियम</td><td>स्तम्भ-2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम</td></tr>
<tr><td></td><td>39. ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र स्वीकृत और जारी करना-
(1) धारा 56 के प्रयोजनार्थ, विहित प्राधिकारी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी होगा। ठीक हालात में होने का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्र प्रपत्र एस.आर. 12 में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र को</td><td>39. ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र स्वीकृत और जारी करना-
(1)(क) धारा 56 के प्रयोजनार्थ, विहित प्राधिकारी, राज्य के किसी जिले का रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अथवा स्वचालित परीक्षण केन्द्र होगा, जहाँ ऐसा यान प्रचालित किया जा रहा हो। अन्य राज्य में यान प्रचालित किये जाने की दशा में विहित प्राधिकारी,</td></tr>
</table>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

	जिसके कार्यक्षेत्र में यान रखा जाता हो या जिसके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत उस मार्ग या क्षेत्र का जिस पर यान से सम्बन्धित परमिट का विस्तार हो, प्रमुख भाग भी है, किया जायेगा।	उत्तर प्रदेश के निकटतम जिले का रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अथवा स्वचालित परीक्षण केन्द्र होगा। परन्तु यह कि यदि केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 62 में विनिर्दिष्ट परीक्षणों का संचालन किसी जिला, जहाँ यान रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, से भिन्न किसी जिला में, किसी निरीक्षणकर्ता अधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र द्वारा किया जाता है वहाँ निरीक्षणकर्ता अधिकारी, जिसने परीक्षण संचालित किया हो, उसी दिवस या अनुवर्ती कार्यदिवस में अपनी निरीक्षण रिपोर्ट प्रपत्र 38क में parivahan.gov.in/vahan पोर्टल पर अपलोड करेगा और यदि निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा यान, अधिनियम तथा नियमावली के उपबंधों के अनुपालन के अनुरूप पाया जाता है तो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु अपने हस्ताक्षर तथा मुहर से निरीक्षण रिपोर्ट, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को निरीक्षण रिपोर्ट के दिनांक से पन्द्रह दिवस के भीतर स्पीड पोस्ट से प्रेषित भी करेगा और उसकी एक प्रति यान चालक को दी जायेगी। परन्तु यह और कि ठीक हालत में होने का अगला प्रमाण-पत्र निरीक्षणकर्ता अधिकारी या रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के जिला, जहाँ यान रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, के किसी प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र से प्राप्त किया जायेगा। (ख) किसी यान को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किये जाने पर तथा मोटर यान अधिनियम, 1988 तथा तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों का अनुपालन किये जाने पर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अथवा प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र यान के ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र स्वीकृत करेगा। (ग) स्वामी, यान के निरीक्षण हेतु ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र समाप्त होने के दिनांक से अनधिक 60 दिन पूर्व किसी कार्यदिवस में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अथवा प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र के समक्ष केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 81 में विनिर्दिष्ट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

		परीक्षण फीस के साथ यान प्रस्तुत कर सकता है। **(**घ) यदि यान परीक्षण में असफल हो जाता है तो पुनः परीक्षण हेतु यान-स्वामी केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 81 द्वारा विनिर्दिष्ट परीक्षण शुल्क जमा कर यान को किसी कार्य दिवस में प्रस्तुत कर सकता है। **(**ङ) निरीक्षणकर्ता अधिकारी अथवा प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र द्वारा निरीक्षण एवं परीक्षण रिपोर्ट प्रपत्र एस.आर.-12 में तैयार किया जायेगा। **(**च) यदि यान के ठीक हालत में होने के प्रमाण पत्र की समाप्ति के पश्चात् किसी दिनांक को यान के ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र का नवीकरण किया जाता है तो नवीकरण प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगाः परन्तु यह कि जहां यान के ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र समाप्त होने के पूर्व किसी दिनांक को यान के ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र का नवीकरण किया जाता है वहाँ नवीकरण यान के ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र समाप्त होने के दिनांक से प्रभावी होगा।
	(2) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र जिसके द्वारा ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया था उस पर यान के अगले निरीक्षण के लिये दिनांक पृष्ठांकित कर सकता है और तद्नुसार स्वामी यान को निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करायेगा।	(2) निकाल दिया गया।
	(3) यदि उपनियम (2) में यथा व्यवस्थित प्रमाण-पत्र पृष्ठांकित नहीं किया गया है तो स्वामी प्रमाण-पत्र की समाप्ति के कम से कम एक माह के भीतर प्रपत्र एस.आर.-13 में आवेदन-पत्र देगा और ऐसे दिनांक को और ऐसे समय और स्थान पर जैसा रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी तत्पश्चात् युक्तियुक्त नोटिस पर नियत करे**,** यान को निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करायेगा।	(3) निकाल दिया गया।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

	(4) यदि स्वामी उपनियम (2) के अधीन नियत दिनांक को या उपनियम (3) के अधीन नियत दिनांक, समय और स्थान पर यान को प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो वह सेन्ट्रल रूल्स के नियम 81 के सारणी के क्रम संख्या-11 पर विनिर्दिष्ट फीस की धनराशि और उसके बराबर अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करने का दायी होगा।	(4) यदि स्वामी यान के ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र समाप्त होने के पूर्व निरीक्षण हेतु यान प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो वह केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 81 में विनिर्दिष्ट फीस की धनराशि और उसके बराबर अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करने का दायी होगा।
द्वितीय अनुसूची में संशोधन	उक्त नियमावली में, द्वितीय अनुसूची में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये प्रपत्र एस°आर°-12 तथा प्रपत्र एस°आर°-13 के स्थान पर नीचे स्तम्भ-2 में दिये गये प्रपत्र रख दिये जायेंगे, अर्थात्:-	
	स्तम्भ-1 विद्यमान प्रपत्र	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र
	प्रपत्र एस°आर°-12 नियम 39(1) देखिये, ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र देने/नवीकरण करने के लिये आवेदन-पत्र भाग-क (आवेदक द्वारा भरा जायेगा) सेवा में, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र.......................... मैं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 56 द्वारा यथा अपेक्षित एतद्द्वारा नीचे वर्णित यान के ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र को जारी/ नवीकरण करने के लिये आवेदन करता हूँ- यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह.................................... स्वामी का नाम..स्थान जहाँ गाड़ी साधारणतया रखी जाती है....................... यान के विनिर्माता का नाम....................................... विनिर्माता का माडल या यदि ज्ञात नहीं है तो व्हील बेस................यान का प्रकार.........................चेसिस संख्या..................................इंजन संख्या................. यान के सम्बन्ध में दिये गये किसी पूर्ववर्ती ठीक हालत में होने के प्रमाण-पत्र का विवरण................. प्राधिकारी जिसके द्वारा दिया गया/नवीकृत किया गया.......... दिनांक, जब ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता समाप्त होगी.......................... विधिमान्यता की समाप्ति के कारण......................... मैं केन्द्रीय नियमावली के नियम 73 के अधीन	प्रपत्र एस°आर°-**12** नियम **39(1)(**ङ) देखिये, ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र देने/नवीकरण करने के लिये आवेदन पत्र **(**निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा भरा जायेगा) परिवहन यान संख्या ....की निरीक्षण रिपोर्ट सम्भागीय/उप-सम्भागीय अधिकारी......... निरीक्षण का स्थान.....................दिनांक................क्रम संख्या......... रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम और पता............................... रजिस्ट्रीकरण संख्या... ढाँचे का प्रकार.. यान के विनिर्माता का नाम... विनिर्माण का वर्ष... व्हील बेस.. चेसिस संख्या.. इंजन संख्या.. अश्वशक्ति.. यान का लदान रहित भार.. सकल यान भार.. टायर की संख्या और आकार........अगली धुरी.................................... पिछली धुरी...कोई अन्य धुरी.........

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

	अपेक्षित कर शोधन प्रमाण-पत्र इसके साथ संलग्न करता हूँ। दिनांक................................ आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान भाग-ख (निरीक्षण अधिकारी द्वारा भरा जायेगा) परिवहन यान संख्या .... की निरीक्षण रिपोर्ट सम्भागीय/उप-सम्भागीय कार्यालय.......................निरीक्षण का स्थान............... दिनांक..........................क्रमसंख्या.........................… रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम और पता...................... यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या................................... ढाँचे का प्रकार... यान के विनिर्माता का नाम....................................... विनिर्माण का वर्ष.. व्हील बेस... चेसिस संख्या... इंजन संख्या... अश्वशक्ति.. यान का लदान रहित भार.. सकल यान भार... टायरों की संख्या और आकार........अगली धुरी..........अगली धुरी.....पिछली धुरी.................कोई अन्य धुरी...............टैडम धुरी........................ **1.** यान का ढाँचा- (क) ढाँचे की सामान्य दशा.................................. (ख) रंगाई कार्य.. (ग) पोशिशसाजी.. (घ) यान की लम्बाई...............................सेन्टीमीटर (ङ) यान की चौड़ाई..............................सेन्टीमीटर (च) यान की ऊँचाई(भूमि से मापी गयी) ....सेन्टीमीटर	टैंडम धुरी... 1. यान का ढाँचा: (क) ढाँचे की सामान्य दशा... (ख) रंगाई कार्य... (ग) पोशिशसाजी.. (घ) यान की लम्बाई...सेन्टीमीटर (ङ) यान की चौड़ाई.. सेन्टीमीटर (च) यान की ऊँचाई(भूमि से मापी गयी)...........सेन्टीमीटर (छ) खड़े होने का स्थान..................................सेन्टीमीटर (ज) गैंगवे...सेन्टीमीटर (झ) दो सीटों के पीछे के मध्य की दूरी...........सेन्टीमीटर (ञ) सीट की चौड़ाई.......................................सेन्टीमीटर (ट) सीट की गहराई.......................................सेन्टीमीटर (केन्द्रीय मोटरयान नियम के नियम 125 ग के उपनियम (1), (2), (5), (6) व (7) का अनुपालन जैसा कि ए.आई.एस. में विनिर्दिष्ट है।) (ठ) सीट संख्या/स्लीपर संख्या .... (ड) ओवर हैंग...सेन्टीमीटर (ढ) ड्राइवर की सीट और स्टियरिंग के बीच की दूरी...सेन्टीमीटर (ण) सीढ़ियों की दूरी भूमि से सबसे निचली सीढ़ी के सिरे तक..सेन्टीमीटर (त) दरवाजा...............चौड़ाई.......................... सेन्टीमीटर (थ) आपातकालीन निकास द्वार- (एक) पीछे की ओर.. (दो) प्रवेश द्वार के विपरीत साइड............................... (तीन) छत में.. (द) ग्रैव रेल.. सेन्टीमीटर (ध) यान लोकेशन टे्रकिंग डिवाइस तथा पैनिक

http://shasanadesh.up.gov.in

	(छ) खड़े होने का स्थान.........................सेन्टीमीटर (ज) गैंगवे...सेन्टीमीटर (झ) दो सीटों के पीछे के मध्य कीदूरी....सेन्टीमीटर (ञ) सीट की चौड़ाई................................सेन्टीमीटर (ट) सीट की गहराई.............................सेन्टीमीटर (ठ) ओवर हैंग....................................सेन्टीमीटर (ड) ड्राइवर की सीट और स्टियरिंग के बीच की दूरी...सेन्टीमीटर (ढ) सीढ़ियों की दूरी भूमि से सबसे निचली सीढ़ी के सिरे तक..सेन्टीमीटर (ण) दरवाजा...................चौड़ाई.............सेन्टीमीटर (त) ग्रैव रेल.. **2.** अगली धुरी और स्टीयरिंग- (क) स्टीयरिंग लाक.. (ख) पहियों का स्वतंत्र संचालन.......................... (ग) स्टीयरिंग कनेक्शन...................................... (घ) स्टीयरिंग टर्निल सर्किल और बैकलैश....... (ङ) किंग पिन और बुश्ड....................................... (च) सामने की पहिया की वियरिंग.......................... (छ) सामने की पहिया का एलाइनमेन्ट................... **3.** संप्रेषण- (क) क्लच.. (ख) गियर बाक्स.. (ग) यूनिवर्सल ज्वाइन्ट.. (घ) प्रोपेलर शैफ्ट.. (ङ) डिफरिन्शियल... **4.** इंजन- (क) ईंधन प्रणाली... (ख) निष्कासक प्रणाली.. (ग)ज्वलन प्रणाली... (घ) धुआँ उत्सर्जन का घनत्व.................................	बटन....... 2. अगली धुरी और स्टीयरिंग: (क) स्टीयरिंग लॉक... (ख) पहियों का स्वतंत्र संचालन....................................... (ग) स्टीयरिंग कनेक्शन... (घ) स्टीयरिंग टर्निंग सर्किल और बैकलैश..................... (ङ) किंग पिन और बुश्ड... (च) सामने पहिया की वियरिंग... (छ) सामने पहिया का एलाइनमेन्ट................................. 3. पारेषण: (क) क्लच... (ख) गियर बाक्स... (ग) यूनिवर्सल ज्वाइन्ट.. (घ) प्रोपेलर शैफ्ट.. (ङ) डिफरिन्शियल... . 4. इंजन- (क) ईंधन प्रणाली.. (ख) निष्कासक प्रणाली... (ग) ज्वलन प्रणाली(स्पार्क प्लग/सप्रेसरकैप/उच्च टेंशन केबल)... (घ) धुआँ उत्सर्जन का घनत्व.. (ङ) वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र................................ 5. लैम्प और बिजली प्रणाली- (क) हैड लाइट तथा हैड लाइट फोकस.......................... (बल्व वोल्टेज नियमानुसार सुनिश्चित किया जाय।) (ख) इन्ड-ऑउट लाइन मार्कर लाइट............................... (ग) पार्किंग लाइट... (घ) स्टाप लाइट.. (ङ) दिशा सूचक इन्डीकेटर... (च) डिपर... (छ) आन्तरिक प्रकाश प्रणाली... (ज) फॉग लैम्प (यदि लगा है).. (झ) एम्बुलेंस में चेतावनी के लिए लाइट..........................

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

	5. लैम्प और बिजली प्रणाली- **(क)** हैड लाइट... **(ख)** साइड लाइट.. **(ग)** बैक लाइट... **(घ)** स्टाप लाइट.. **(ङ)** सिग्नल इन्डीकेटर.. **(च)** डिपर... **(छ)** आन्तरिक प्रकाश प्रणाली................................. **(ज)** हार्न... **6.** साइलेन्सर- **7.** ब्रेक्स- **(क)** पैर का.. **(ख)** हाथ का.. **(ग)** बूस्टर प्रणाली... **8.** स्प्रिंगिंग प्रणाली की दशा- **9.** आवश्यक उपस्कर- **(क)** बल्ब हार्न.. **(ख)** विण्ड शील्ड वाइपर... **(ग)** पृष्ठ भाग देखने वाला शीशा.......................... **(घ)** स्पीडोमीटर... **(ङ)** औजार... **(च)** अतिरिक्त पहिया... **(छ)** प्राथमिक चिकित्सा बाक्स................................ **(ज)** तिरपाल... **(झ)** परावर्तक.. **10.** टायरों की दशा... **11.** चेसिस फ्रेम की दशा... **12.** सफाई... **13.** कोई अन्य संप्रेक्षण या खराबी........................... 'उपरिलिखित खराबी के कारण ठीक हालत में	**(ट)** हैजार्ड वार्निंग लाइट.. **(ठ)** नम्बर प्लेट लाइट.. **(ड)** बैटरी.. **6.** साइलेन्सर.. **(**साइलेन्सर का लीकेज न होना सुनिश्चित किया जाय।) **7.** ब्रेक्स- **(क)** पैर का... **(ख)** हाथ का... **(ग)** बूस्टर प्रणाली.. **(**केन्द्रीय मोटरयान नियम के नियम 96(8) के अनुपालन में)......... 8. सस्पेंशन प्रणाली की दशा- **9.** आवश्यक उपस्कर- **(क)** इलेक्ट्रिक हॉर्न.. **(ख)** विण्डशील्ड वाइपर.. **(ग)** पृष्ठ भाग देखने वाला शीशा.. **(घ)** स्पीडोमीटर... **(ङ)** औजार...**...........**...... **(च)** अतिरिक्त पहिया... **(छ)** प्राथमिक चिकित्सा बाक्स.. **(ज)** तिरपाल... **(झ)** परावर्तक.. **(ञ)** विण्डशील्ड शीशा... **(ट)** डैशबोर्ड सयंत्र... **(ठ)** परावर्ती टैप (मानक के अनुरूप).............................. **(एक)** आगे-सफेद रंग-... **(दो)** पीछे-लाल रंग-... **(तीन)** साइड-पीले रंग-... **(ड)** गति नियंत्रक- मेक....................यूनिक नं°.................

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

	होने से इन्कार करने की संस्तुति की जाती है। **...**अवधि के लिये ठीक हालत में होने की *संस्तुति की जाती है। निरीक्षक का नाम और उसका हस्ताक्षर प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र भाग-ग (कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) यान संख्या... परमिटसंख्या...तक के लिए विधिमान्य बीमा पालिसी................................... बीमा कम्पनी का नाम...तक के लिए बीमा विधिमान्य....................................तक मार्ग-कर जमा किया गया...तक माल-कर/यात्री-कर जमा किया गया रसीद संख्या..................दिनांक...................द्वारा............... ...रुपये निरीक्षण फीस वसूल की गयी। *यान के सम्बन्ध में ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र से इन्कार किया जाता है.................... **.........................**से..................तक के लिये जारी किया जाता है। यान के अगले निरीक्षण के लिए दिनांक.................... रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का नाम और उसका हस्ताक्षर **....................................** प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र *जो लागू न हो उसे काट दें। भाग-घ (निरीक्षण अधिकारी द्वारा भरा जायेगा और स्वामी को हस्तान्तरित किया जायेगा) यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह... मेक और मॉडल... यान का प्रकार..ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र......................द्वारा जारी किया गया.....................द्वारा......................... को अन्तिम बार नवीकरण किया गया। निरीक्षण का	**(ढ)** रेयर अण्डर रन सुरक्षा डिवाइस(एन**2,** एन**3,** टी**3** एवं टी**4** के लिए).......................... **(ण)** लेटरल साइड सुरक्षा डिवाइस (एन**2,** एन**3,** टी**3** एवं टी**4** के लिए)................. **(त)** फास्ट टैग.. **(थ)** सीट बेल्ट .... **(द)** अग्निशामक यन्त्र .... **(ध)** सीसीटीवी (स्कूल बस हेतु).. **(न)** वाहन-एसी/नॉन एसी.. **10.** टायरों की दशा(घिसाव सूचक के अनुसार).............. **11.** वायरिंग हारनेस... **12.** डोर एवं ग्लास .... **13.** इंस्पेक्शन लैम्प की उपलब्धता................................... **14.** दोनों ओर पंजीयन चिन्ह् की मार्किंग........................... **15.** हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट .... **16.** चेसिस फ्रेम की दशा.. **17.** विभिन्न रूप से योग्य यात्रियों तथा कम गतिशीलता वाले यात्रियों हेतु प्राथमिकतावाली सीटें, संकेत सहारों/ बेंत/वॉकर, हैन्ड रेल/स्टैंच का सुरक्षित होना और प्राथमिकता वाली सीटों पर नियन्त्रण................................. **18.** विभिन्न रूप से योग्य यात्रियों तथा कम गतिशीलता वाले यात्रियों हेतु व्हील चेयर, इन्ट्री/रखने/लॉकिंग अरेंजमेन्ट का होना................... **19.** फुआरा निरोध युक्ति (मडफ्लैप, फेन्डर लाइनिंग)......... **20.** विद्युत यानों पर किए जाने वाले अतिरिक्त परीक्षण (जीएसआर**652(**इ**),** दि° **23.09.2021** के अनुसार)- **(**क**)** विद्युत अघात से सुरक्षा यदि प्रणाली का वोल्ट 60 V DC या 30 V DC हो................................... **(**ख**)** इंसुलेशन रेजिस्टेंस माप परीक्षण यदि प्रणाली का वोल्ट 60 V DC या 30 V DC हो...................... **(**ग**)** डैशबोर्ड पर चार्ज की अवस्था का इंडीकेटर........ **21.** प्राधिकृत स्वचालित परीक्षण केन्द्र में स्थापित निम्नलिखित मशीनों /उपकरणों में टेस्ट की स्थिति- (जीएसआर652**(**इ**),** दि0 23.09.2021 के अनुसार)- **(**क**)** उत्सर्जन टेस्ट... **(**ख**)** बेक्रिंग सिस्टम... **(**ग**)** स्टीयरिंग गियर...

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	दिनांक... स्वामी का नाम और पता... उपर्युक्त वर्णित यान मेरी राय में मोटरयान अधिनियम, 1988 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का निम्नलिखित खराबियों के कारण अनुपालन करने में विफल है- .... अतएव मैंने ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र जब्त कर लिया है। गाड़ी को निरीक्षण के लिये प्रस्तुत किया जा सकता है। (1)... (2)... यान को दिनांक.......................को या उसके पूर्व मरम्मत के लिये.......................................को उसके पश्चात्...को चलाकर ले जाया जा सकता है। यह.................................किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अधिक पर नहीं चलायी जायेगी और उसमें कोई यात्री या माल नहीं ले जाया जायेगा। ठीक हालत में होने की स्वीकृति दी जाती है। दिनांक.............................. प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर **1-**यहाँ स्थान दर्ज करें। **2-**यहाँ दिनांक दर्ज करें।	(घ) साइड स्लिप टेस्ट.. (ड) सस्पैंशन टेस्ट(हल्के वाहन हेतु)............................ (च) ज्वाइंट प्ले.. (छ) स्पीड गवर्नर... (ज) हेड लाईट फोकस... (झ) सांउड टेस्ट.. **22.** सफाई... **23.** कोई अन्य खराबी.. 1... 2... 3... 4... 24. संस्तुतिः (एक) दिनांक...........से ....दिनांक................तक फिटनेस प्रदान किया गया। (दो) क्रमांक ....में उल्लिखित कमियां सुधार करायें। (तीन) फिटनेस अस्वीकृत (कारण का उल्लेख) निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी, प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र का नाम तथा हस्ताक्षर (मुहर)
	प्रपत्र एस॰आर॰-**13** ख्रियम **39(3)** देखिये, निरीक्षण के दिनांक के लिए आवेदन-पत्र जब प्रपत्र एस॰आर॰-**12** में उसे पृष्ठांकित न किया गया हो भाग-क (आवेदक द्वारा भरा जायेगा) सेवा में, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, **...** मैं, एतद्द्वारा नीचे वर्णित यान के मोटरयान अधिनियम, **1988** की धारा **56** के अधीन अपेक्षित निरीक्षण के दिनांक के लिए आवेदन करता हूँ- **1.** यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह...................... **2.** दिनांक जब ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र विधिमान्य नहीं रहजायेगा.................... **3.** ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम............................	निकाल दिया गया।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

	दिनांक...................................... आवेदक का नाम और उसका हस्ताक्षर भाग-ख (रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा भरा जायेगा और स्वामी को हस्तान्तरित किया जायेगा) यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह............................... स्वामी का नाम और पता.................................. चूंकि उपरिलिखित यान का ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र दिनांक ....को समाप्त होने वाला है, अतएव उसे.............(दिनांक, समय और स्थान का उल्लेख किया जायेगा) पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। दिनांक...................................... रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का हस्ताक्षर और उसका पदनाम	

आज्ञा से,

(एल0 वेंकटेश्वर लू)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-8/2023/458(1)/ तीस-4-2023-30-4099/22/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना के हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख की प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना की हिन्दी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में तथा अंग्रेजी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,

लुटावन राम
विशेष सचिव

संख्या-8/2023/458(2)/ तीस-4-2023-30-4099/22/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 05.04.2023 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क)(सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,

लुटावन राम
विशेष सचिव

संख्या-8/2023/458(3)/ तीस-4-2023-30-4099/22/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन,1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यू नल,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक एवं अवस्थापना विभाग /न्याय/वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से सम्पर्क स्थापित कर उक्त अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु किसी अभिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
8. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
9. विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राम गोपाल सिंह
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.gov.in